

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1.	District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU	P.S. (थाना): SVB PANCHKULA	Year (वर्ष): 2022
	FIR No. (प्र.सू. सं.): 0002	Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 07/03/2022 23:27 hrs	

2.	S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
	1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Monday Date from (दिनांक से): 07/03/2022 Date To (दिनांक तक): 07/03/2022

Time Period (समय अवधि): Pahar 7 Time From (समय से): 19:00 hrs Time To (समय तक): 19:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 07/03/2022 Time (समय): 22:50 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 07/03/2022 22:57 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 110 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): Unit SVB YNR,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): कृष्ण लाल उर्फ अनुराग पुत्र श्री राजपाल

(b) Father's Name (पिताका नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	वार्ड नं0 4, महोल्ला पंचोलीयान, जिला यमुनानगर, BURIA, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

2	Permanent Address	वार्ड नं0 4, महोल्ला पंचोलीयान, जिला यमुनानगर, BURIA, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA
---	-------------------	--

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9996200910

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	ASI ANIL KUMAR			1. PS BURIA, DISTT YNR, BURIA, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, इन्स्पेक्टर, स्टेट विजीलेंस ब्यूरो, यमुनानगर। श्रीमान जी. निवेदन यह है कि मैं कृष्ण लाल उर्फ अनुराग पुत्र श्री राजपाल वासी वार्ड नं० 4, महोल्ला पंचोलीयान, बुडिया, जिला यमुनानगर का स्थाई निवासी हूँ तथा कस्बा बुडिया में मेरी सुनार की दुकान है। दिनांक 02.03.2022 को मेरे वा मेरी पत्नी श्रीमती हीना देवी के बीच आपसी घेरलू झगडा हो गया था। जिस पर मेरे ससुराल वालों ने डायल 112 पर मेरे खिलाफ शिकायत की। जिस पर दिनांक 02.03.2022 को ही करीब 11.30, 12.00 बजे रात्री मे हमारे घर पर डायल 112 गाडी पहुँची। जिन्होंने हमे हमारे खिलाफ शिकायत बारे बतलाया। उसी समय मेरे ससुराल वाले अपनी गाडी में हमारे घर पहुँचे और मेरी पत्नी मेरे ससुराल वालो के साथ उनकी गाडी मे तथा मैं वा मेरे पिता जी मेरी बाईक से तथा मेरा भाई मोहन लाल पैदल थाना बुडिया पहुँचे। हम दिनांक 03.03.2022 को करीब 1:00 बजे रात्री मे थाना बुडिया पहुँचे जहाँ डायल 112 के कर्मचारी ने हमें अनिल कुमार ए.एस.आई. को पेश किया।

जिसके बाद अनिल कुमार ए.एस.आई. मेरी पत्नी कि शिकायत पर उसके बयान लिखे और मुझे वा मेरे पिता जी तथा मेरे भाई को थाना मे बिठा लिया। कुछ समय बाद मेरे परिवार व ससुराल पक्ष से आये व्यक्तियों ने आपसी रजामंदी से अपना फैसला कर लिया। और अपना लिखित फैसला अनिल कुमार ए.एस.आई को दे दिया परन्तु उसने इस फैसले को नजर अंदाज करके मुझे वा मेरे भाई को डराया धमकाया कि वह इस फैसले को नही मानता। उसने इस फैसले को करवाने के लिये मुझसे 20,000/- रु रिश्वत की मांग की तो मैंने उसे रिश्वत देने से मना किया क्योंकि यह फैसला हमारी आपसी सहमति से हुआ था। तो उसने हमे बुरी तरह से डराया धमकाया कि अब वह हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा और हमारी जमानत भी नही होने देगा। हमने डर के मारे अपने पडोसी से उसी समय 10,000/- रु मंगवाये और अनिल कुमार ए.एस.आई को दे दिये। जिसने करीब 2:30 ए.एम पर हमें थाना बुडिया से फारिग किया और कहा कि बकाया 10,000/- रु दे जाना और फैसले की काँपी ले जाना।

इसके बाद दिनांक 04.03.2022 को मैंने करीब 01 बजे दिन के समय अनिल कुमार ए.एस.आई के मोबाईल 8950193434 पर अपने मो० नं० 9996200910 से हमारे फैसले की काँपी प्राप्त करने के लिये फोन किया तो उसने कहा कि वह अभी बाहर है और वह बाद मे फोन करेगा।

इसके बाद दिनांक 04.03.2022 को करीब 7 बजे सांय, अनिल कुमार ए.एस.आई का फोन मेरे मोबाईल पर आया जिसने मुझे थाना बुडिया में बुलाया। मैं करीब 8 बजे थाना बुडिया मे पहुँचा तो अनिल कुमार ए.एस.आई अपने कमरे मे बैठा हुआ था। मैंने उससे हमारे फैसले की काँपी मांगी जिसने कहा कि पहले मेरी बकाया फीस दो लेकिन मेरे पास कोई पैसा नही था मैंने उसे रिश्वत देने से मना कर दिया। मैं करीब 10-15 मिनट उसके पास रहा लेकिन उसने मुझे हमारे फैसले की काँपी नही दी। उसने कहा कि बकाया फीस दे जाना और फैसले की काँपी ले जाना। इस बारे मैंने अपने मोबाईल में उसकी रिकार्डिंग भी है जो आपको पेश कर दूंगा।

श्रीमान जी, उपरोक्त अनिल कुमार ए.एस.आई. एक भ्रष्ट कर्मचारी है उसने मुझसे दबाव देकर पहले भी दिनांक 02.03.2022 को 10,000/- रु रिश्वत ले ली थी और अब फिर वह मुझसे 10,000/- रु और रिश्वत मांग कर रहा है। मैं उसे यह रिश्वत नही देना चाहता मैं उसे यह 10,000/- रु बतौर रिश्वत देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। अगर मैं उसे यह रिश्वत नही दूंगा तो वह हमारे फैसले की काँपी हमे नही देगा और हमें किसी झुठे मुकदमें मे फँसा सकता है। कृप्या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। SD Kirshan Lal Dt. 7.3.2022 9996200910

कार्यवाही पुलिस इस समय मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र यमुनानगर हूँ कि शिकायतकर्ता कृष्ण लाल उपरोक्त ने हाजिर यूनिट आकर टाईप शुदा दरखास्त उपरोक्त मुझे पेश की। जो दरखास्त उपरोक्त से ASI अनिल कुमार थाना बुडिया जिला यमुनानगर को विरुद्ध सरेदस्त जुर्म जेर धारा 7 PC ACT 1988 का सरजद होना पाया जाता है। जिस पर तहरीर तैयार करके अभियोग दर्ज करने हेतु सि० कृष्ण कुमार नं० 713/AMB के माध्यम से सेवा मे प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो सेंक्टर- 17 पंचकुला भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे तथा स्पेशल रिपोर्ट मुकदमा हजा बजरिया स्पेशल मैसेन्जर वा ईमेल के माध्यम से स्पेशल जज जगाधरी स्थित यमुनानगर की सेवा में वा प्रथम रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारीगण की सेवा मे भिजवाई जावें। अभियोग की नकल कापी वा असल लेख मौका पर भिजवाई जाये। मन निरीक्षक मन स०उप०नि० संजय कुमार नं० 487/YNR मय LHC सीमा देवी नं० 386/KNL बा स्वारी गाडी सरकारी HR 03Z 0782 जिसका चालक EHC अजय सिंह नं० 479/AMB है मय मुदई कृष्ण लाल उपरोक्त के बराये करने पूरी औपचारिकतायें रेड रवाना उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर का होता हूँ। रेडिंग किट, तफतीशी बैग, लैपटॉप, प्रिन्टर हमराह लिया गया। अजः राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर। दिनांक 07.03.2022 AT 7.00 PM, SD Mandeep निरीक्षक/अनुसंधान अधिकारी, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर। अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न० 02 दिनांक 07.03.2022 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 थाना रा०चौ०ब्यू० पंचकुला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजीस्ट्रेट साहब, जगाधरी, जिला यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल बादस्त सिपाही कृष्ण कुमार 713/AMB के अनुसंधान अधिकारी के पास मौका पर भेजी जा रही है। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): mandeep kumar Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PSI to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): HIMANSHU GARG

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				

Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

